

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.4(17)नवि/II/2022

जयपुर, दिनांक: 17 AUG 2022

आदेश

नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के निम्नांकित अभियन्ताओं को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 05 में अंकित तिथि से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	अभियन्ता का नाम	पदनाम	जन्म दिनांक	सेवानिवृत्ति की दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता	07.08.1962	31.08.2022
2.	श्री योगेश चन्द सैनी	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	20.08.1962	31.08.2022
3.	श्री धर्मेन्द्र शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता	02.10.1962	31.10.2022

नोट:- सेवानिवृत्ति पर उक्त सभी अभियन्ताओं का "विभागीय जांच बकाया नहीं" का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

-sd/-  
(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाडा।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
7. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संबंधित अभियन्तागणों को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय